ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा
विश्वविद्यालय, देहरादून।

सत्यमेव जयते

लोक भवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या–27778 / जी0एस0(शिक्षा) / C15-2(TC) / 2020

देहरादून : दिनांक : 17 जनवरी, 2026

आदेश

एतद्द्वारा, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 एम0एल0 ब्रह्मभट्ट द्वारा कुलपति पद से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए कुलपति पद पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 यथासंशोधित की धारा–10 की उपधारा–(7) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत प्रथमतः 06 माह के लिए आदेश सं0 18618 दिनांक 20 जनवरी, 2025 द्वारा कुलपति–वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तथा आदेश सं0 23078 दिनांक 16 जुलाई, 2025 के द्वारा अग्रेत्तर 06 माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कुलपति–उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून को उनके पदीय दायित्वों के साथ–साथ हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

उपरोक्तानुसार धारा–10(7) में निहित अस्थायी व्यवस्था संबंधी 01 वर्ष की समयावधि दिनांक 17 जनवरी, 2026 को पूर्ण हो जायेगी तथा यह भी कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन से कुलपति चयन का पैनल आतिथि तक प्राप्त नहीं होने के कारण नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पायी है।

अतएव उपरोक्त के फलस्वरूप अपरिहार्य परिस्थिति के दृष्टिगत हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 यथासंशोधित की धारा–9 की उपधारा–(4) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 18 जनवरी, 2026 से अग्रिम आदेश अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून का नियंत्रण अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेगा।

ह0/-
ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या– 27778(1) / जी०एस०(शिक्षा) / C15-2(TC) / 2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रो0 अरूण कुमार त्रिपाठी, कुलपति–उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून
5. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।